आवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1–तिलक मार्ग लखनऊ।

डीजी परिपत्र संख्या– 65 /2016 दिनांकः नवम्बर 12 ,2016

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्याः 18888/2016 तान्या अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं हैबियस कार्पस रिट याचिका संख्याः 21582/2016 बेबी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20–08–2016 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मु0अ0सं0 266/2016 धारा 363/504/506 भा0द0वि0 थाना आलमबाग जनपद लखनऊ एवं मु0अ0सं0 1538/2016 धारा 363/366/504/506 भा0द0वि0 एवं पोक्सो एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच के मामले में पीड़िता को उसके चिकित्सीय परीक्षण, धारा 161 व 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत विवेचक द्वारा उसका बयान मा0 मजिस्ट्रेट न्यायालय में कराये जाने के सम्बन्ध में पीड़िता की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (personal liberty) जो उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 के अन्तर्गत भारतवर्ष के अन्य नागरिकों की भॉति प्रदान की गयी है, उसे विवेचक द्वारा बिना किसी आधार के Curtail किया गया है।

2. मा0 उच्च न्यायालय की यह धारणा है कि इन अपराधों की पीड़िता अवयस्क होती हैं तथा विवेचक द्वारा उनके कष्ट को और बढ़ा दिया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि पीड़िता जो विधिक संरक्षण में अपराध कारित होने से पूर्व थी, उसे विधिक संरक्षण में तद्नुसार सुपुर्द कर दिया जाये तथा विवेचना में जो भी सहयोग उससे अपेक्षित हो अथवा उसका चिकित्सीय परीक्षण, बयान आदि अंकित कराना हो तो पीड़िता को विधिक संरक्षण से बुलाकर बिना किसी विलम्ब के विधिक कार्यवाही पूर्ण करायी जाये, जिससे पीड़िता के मौलिक अधिकार जो उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 में प्रदान किये गये हैं, उनका हनन न हो।

3. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में असन्तोष व्यक्त करते हुए जनपद बहराइच के थाना कोतवाली देहात में हुई घटना के सम्बन्ध में जॉच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं तथा यह भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनसे डेढ़ लाख की वसूली भी करायी जायेगी।

4. यह अत्यन्त खेद का विषय है कि उ0प्र0 शासन एवं पुलिस महानिदेशक मुख्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर आप सभी को जागरुक किया गया है परन्तु विवेचना स्तर पर विवेचक अनावश्यक रूप से पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण एवं धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान हेतु उसे किसी न किसी स्थान पर रखकर उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता

का हनन करते हैं, जो विधिक दृष्टि से असंवैधानिक एवं अनुचित है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् हैं :–

"We dispose of this petition with request to the Principal Secretary, Home, Principal Secretary, Medical Health and the Director General of Police, U.P., Lucknow to consider the matter in the light of the rights of the citizens vested under Article 21 of the Constitution, as highlighted in above extracted portion of the order and issue necessary directions so that the rights of the victims/witnesses are not adversely affected. It be ensured that medical examination of a victim/witness is concluded preferably within the day. Likewise statement of a witness be recorded under Section 164 Cr.P.C. as soon as possible, as noted above. The witness, subsequent to her medical examination, and/or recording of statement under Section 164 Cr.P.C., be returned to the custody of the same person from whom she was taken. "

5. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थों को अवगत करायें कि वे पीड़िता की बरामदगी होने के तुरन्त पश्चात् उसको उसके कानूनी अभिभावक (Legal guardian) की अभिरक्षा में सुपुर्द कर दें तथा चिकित्सीय परीक्षण, द0प्र0सं0 के अन्तर्गत होने वाले बयान धारा 161 एवं 164 हेतु उसे उसके कानूनी अभिभावक (Legal guardian) के माध्यम से बुला लें। इस प्रकार विवेचना में भी कोई बाधा नहीं आयेगी तथा पीड़िता की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी प्रभावित नहीं होगी। आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि :– पुलिस महानिरीक्षक(अपराध) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्देशों का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करायें।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन एवं अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करें।

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।